भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1890

01 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"ई-बसें चलाना"

1890. श्री रितेश पाण्डेय:
सुश्री सुनीता दुग्गल:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना (फेम इंडिया) के अंतर्गत स्वीकृत ई-बसों को चलाने के लिए कोई प्राथमिकता समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा राज्य सहित तत्संबंधी राज्य/शहर-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में हैवी ड्यूटी ईवीएस सहित (ईवी) इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई रणनीतिक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो फेम इंडिया योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और अनुसंधान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम के तहत संस्वीकृत ई-बसों की तैनाती के लिए कोई राज्य-वार प्राथमिकता समय-सीमा नहीं है। तथापि, ई-बसों की खरीद के लिए सभी चयनित नगरों/एसटीयू को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 04 जून, 2019 को जारी रुचि-अभिव्यक्ति (ईओआई) संख्या 6(09)/2019-एनएबी.II (ऑटो) में दी गई समय-सीमा का पालन करना होगा।

(ग) और (घ): देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में अखिल भारतीय आधार पर शुरू की ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो और वाहन उत्सर्जन के मुद्दों का समाधान हो सके। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। को 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-3 तिपहिया, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज संबंधी चिंता को दूर करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-:

i. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए उन्नत रसायन सेल के विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 12 मई,2021 को अनुमोदित किया। बैटरी की कीमतों में कमी से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।
ii. इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम में शामिल हैं। इस स्कीम को पांच वर्षों की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से दिनांक 15 सितंबर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।
iii. इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 12% से घटाकर 5% और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

***